न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/2/2012 - R-2485-II/12

श्री .... द्वारा आज दि. 6-8-12 को प्रस्तुत
6-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चूरामन पुत्र श्री धपुआ काछी निवासी ललौनी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 ....प्रार्थी

बनाम

कमोदा पुत्र श्री सरिया काछी निवासी ललौनी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 ......प्रतिप्रार्थी

म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्रकरण कमांक–8/2011–12 अ–74 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2012 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी ने विचारणीय न्यायालय में ग्राम बगौता तहसील छतरपुर में स्थित सर्वे कमांक 1608 रकवा 0.065 हे0 पर म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 158 के अंतर्गत अभिलेख में गैरहकदार के स्थान पर भूमि स्वामी घोषित किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया प्रकरण में विचारणीय न्यायालय द्वारा कोई इश्तहार जारी नही किया गया प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने विचारणीय न्यायाल य में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त सर्वे कमांक के भूमि स्वामी सरिया की मृत्यु हो चुकी है और सरिया के स्थान पर उक्त भूमि पर रामदीन का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो गया है रामदीन के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थी के हक में उक्त भूंमि का वसीयतनामा दिनांक 07.01.1995 को निष्पादित किया है और इस प्रकार आपत्तिकर्ता उक्त भूमि का भूमि स्वामी है इसलिये उक्त भूमि पर प्रार्थी को म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 158 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जावें । विचारणीय न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को इस आधार पर की प्रकरण म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 158 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । आपत्तिकर्ता की आपत्ति को बिना किसी वैधानिक आधार के बिना इस बिन्दु की जॉच किये बगैर की आपत्तिकर्ता द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2485-दो/2012 जिला-छतरपुर

चूरामन विरूद्ध कमोदा काछी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 08/2011-12/-74 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-08-2012 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही	

09/1/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/1/19
सदस्य